तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तख़त हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.8.20 1 [illegible] 2 [illegible] 3-4 [illegible] 7.8.20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण 01, 3से 5 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प० किये गये, वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प० की गई, रिपोर्ट मे बताया गया कि माननीय न्यायालय R.A.A भीलवाड़ा मे प्रकरण विचाराधीन है। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 17:26:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 29/20 प्रा.पत्र

1– भैरू S/o श्री रामनाथ माली निवासी - बागोर तहसील - माण्डल
2. छोटू S/o श्री रामनाथ माली ————————॥————————

–प्रार्थी

बनाम

1– नन्दी S/o श्री चुन्नू माली निवासी - नृसिंहद्वारा के पास बागोर त. माण्डल [कोरा]
प्रश्नांकित प्रा. पत्र संलग्न है।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 07.08.20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........बागोर I..........पटवार हल्का.........बागोर I.......तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2991/1, 2999/1, 3009.........कुल किता.........03.........रकबा.........0.2 बीघा......0.1......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ....13.03.20......को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....बागोर I .... पटवार हल्का..........बागोर I..........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2991/1, 2999/1, 3009.........................कुल किता.........03.........................रकबा.........0.2 बीघा..........0.1..........बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी क़िये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर.............. 400/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 17:26:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner